न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 10/2018 तारीख रजू :– 27.02.2018

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव

R.A.S.

1.	महेश	पिसरान श्यामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी चौबे पाडा हिण्डौन सिटी जिला करौली
2.	गोपाल	
3.	जितेन्द्र	
4.	राजेन्द्र	
5.	मोहन	
6.	बीरेन्द्र	---------------------------- प्रार्थीगण

बनाम

1.	भरोसी(फौत)	पिसरान परभाती जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली
2.	हुकम	
3.	गुमान	
4.	तेजसिंह	---------------------------- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थर गढी आदि

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थीगण

2. श्री एच.एस. गुर्जर एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय

दिंनाक :– 15.01.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट खिलाफ अप्रार्थीगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 924 रकबा 0.67 है0, 928 रकबा 1.34 है0, 929 रकबा 1.47 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में प्रार्थीगण की खातेदारी में बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav

Date: 2021.01.15 16:55:44 IST

Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 932 रकबा 3.38 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन अप्रार्थी सं0 1 ता 4 बहिस्सा 4/5 व अप्रार्थी सं05 मूली पत्नि रामजीलाल बहिस्सा 1/5 की खातेदारी में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजीयात चौबे का बंध कस्बा हिण्डौन में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

जिनकी पश्चिमी सीमा आपस में मिली हुई है। जिसको लेकर आये दिन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। रकबे को लेकर आपस में अनिश्चितता बनी रहती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 21.02.2018 को प्रार्थी अपने खेतों पर सार संभाल बाबत् गये हुए थे कि अप्रार्थीगण एक राय होकर आये एवं कहने लगे कि तुम्हारे खेतों में हमारा रकबा दबा हुआ है इसलिए हम जे0सी0बी0 से इस डौल को तुम्हारे खेतों में खिसका कर अपना रकबा निकाल कर रहेंगे। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को समझाने का प्रयास किया, तहसील चलकर आपसी सहमति से अपनी अपनी जमीनों की पैमाईश करवा लेते हैं, लेकिन अप्रार्थीगण ऐसा करने को तैयार नहीं है इसलिए मौके की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 924 रकबा 0.67 है0, 928 रकबा 1.34 है0, 929 रकबा 1.47 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की पैमाईश कर बतरफ खसरा नम्बर 932 की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.03.2018 को अप्रार्थीगण की ओर से श्री एच.एस. गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया जो शामिल मिशल है। किन्तु अप्रार्थीगण को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं किया गया इसलिए दिनांक 04.01.2021 को जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये। वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 किता एवं नकल नक्शा ट्रेस पेश की हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 924 रकबा 0.67 है0, 928 रकबा 1.34 है0 स्थित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

कस्बा हिण्डौन की खातेदारी महेश गोपाल जितेन्द्र राजेन्द्र मोहन वीरेन्द्र पुत्र श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा खसरा नम्बर 929 रकबा 1.47 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी महेश चन्द, गोपाललाल जितेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार मोहनलाल वीरेन्द्र कुमार पि0 श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 932 रकबा 3.38 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी भगौती उर्फ भरोसी ,हुकम, गुमानसिंह, तेजसिंह पि0 परभाती हि04/5 जाति जाट निवासी ग्राम, मूली पत्नि रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील महवा हि01/5 खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 924 रकबा 0.67 है0, 928 रकबा 1.34 है0, 929 रकबा 1.47 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिसका प्रार्थीगण नियमानुसार पैमाईश करवाकर पत्थर गढी करवाना चाहता है। जिसका प्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य डौल मेढ को लेकर आपस में विवाद की स्थिति आगे और नहीं बढे तथा आम शान्ति कायम रहे इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमि की नियमानुसार पैमाईश करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट खिलाफ अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 924 रकबा 0.67 है0, 928 रकबा 1.34 है0, 929 रकबा 1.47 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की नियमानुसार पैमाईश करते हुए पत्थरगढी करवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 16:55:44 IST
Reason: SelfAttested

15.01.2021

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner